

सं०सं०-1/ज०अ०-03/2017- 88(1)व०

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

सच्चिदानन्द चौधरी,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

अधीक्षक,
जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल,
भागलपुर।

पटना, दिनांक- 17/01/2018

विषय:- जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, भागलपुर को विपत्र कोड-20-2210011100009 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत बिहार आकस्मिकता निधि से 0009.33.02 मुआवजा ईकाई मद में प्राप्त उपबंध से वित्तीय वर्ष 2017-18 में कुल रू० 1,00,000/- (रुपये एक लाख) मात्र के आवंटन की स्वीकृति।

महाशय,


निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक अधीक्षक, जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, भागलपुर के पत्रांक-4374 दिनांक-25.11.2017 के आलोक में जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, भागलपुर को विपत्र कोड-20-2210011100009 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत बिहार आकस्मिकता निधि से 0009.33.02 मुआवजा ईकाई मद में प्राप्त उपबंध से वित्तीय वर्ष 2017-18 में रू० 1,00,000/- (रुपये एक लाख) मात्र के आवंटन की स्वीकृति निम्नरूपेण प्रदान की जाती है-

विषय शीर्ष	बजट उपबंध	बिहार आकस्मिकता निधि से प्राप्त उपबंध	कुल उपबंध	पूर्व का आवंटन	वर्तमान आवंटन	अद्यतन कुल आवंटन	शेष राशि
0009.33.02 मुआवजा	0	100000	100000	0	100000	100000	0
कुल योग-	0	100000	100000	0	100000	100000	0

2. यह आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 2561/वि०(2) दिनांक-17.04.1998, 2880/वि०(2) दिनांक-06.05.06, 2938/वि०(2), दिनांक-08.04.08 एवं 3388/वि०(2) दिनांक-18.04.2011 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है एवं इनके प्रावधानों के अनुपालन की जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अधीक्षक, जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, भागलपुर होंगे तथा नियंत्रण पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे।


4. इस राशि के व्यय का वहन माँग संख्या-20, मुख्य शीर्ष-2210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ-एलोपैथी-110-अस्पताल तथा औषधालय-0009-भागलपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल, भागलपुर विपत्र कोड-20-2210011100009 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में स्वीकृत्यादेश सं०-73(1) दिनांक-12.01.2018 द्वारा बिहार आकस्मिकता निधि से प्राप्त उपबंध से की जाएगी।



क्रमशः

5. आवंटित राशि की व्यय विवरणी कोषागार प्रमाणक संख्या एवं तिथि सहित प्रत्येक माह की 10वीं तारीख तक निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय। चालू वित्तीय वर्ष में प्राप्त आवंटन से किये गये व्यय का महालेखाकार, बिहार, पटना द्वारा सत्यापित कराकर सत्यापित प्रतिवेदन भी विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय। महालेखाकार का सत्यापित प्रतिवेदन अप्राप्त होने की स्थिति में किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता प्रकाश में आने पर इसकी सारी जवाबदेही आपकी होगी।
6. इस राशि का आवंटन सी०डब्ल्यू०जे०सी० सं०-13028/2013 कमला देवी बनाम् राज्य सरकार एवं अन्य मामले में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक-21.08.2017 को पारित आदेश के अनुपालन में की जा रही है।
7. इस राशि की निकासी जिला कोषागार, भागलपुर से की जाएगी।
8. इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार, पटना को दी जा रही है।
9. इसमें प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन


(सच्चिदानन्द चौधरी)


सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक-1/ज०अ०-03/2017- ११(1)ब० /स्वा०, पटना, दिनांक- 17/01/2018

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, भागलपुर/जिलाधिकारी, भागलपुर/कोषागार पदाधिकारी, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- मा० मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग के निजी सहायक/संयुक्त सचिव (प्रभारी प्रशाखा-1), स्वास्थ्य विभाग के निजी सहायक/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी-1, 2 एवं कार्यवाह सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


सरकार के विशेष सचिव